दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R'-3836-I/14

गिरधर पटेल पिता स्व. श्री सी.एल. पटेल
निवासी तिली वार्ड, पुरानी प्राईमरी स्कूल के पास, सागर

– पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

अजय जैन पिता श्री मणी भाई जैन,
निवासी आदर्श कालोनी, मकरोनिया, जिला सागर

– प्रति पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धार 50, म.प्र.भू.रा.सं. नायब तहसीलदार नजूल बी सागर द्वारा

उपरोक्त नामांकित पुनरीक्षणकर्ता रा.प्र.क्र. 1740 ए6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 27.10.14 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता की भूमि मौजा तिली माफी प.ह.नं. 63, खसरा नं. 46/1क, रकबा 1.50 एकड़ शामिल सरीक खाते में दर्ज है जिसमें से खानदानी संजरा के अनुसार स्व. झत्ते द्वारा अपनी संपूर्ण भूमि का अपने पुत्रों–गोरेलाल, हल्कईं, जमना में वटवारा कर दिया था तथा बटवारा उपरान्त 3 एकड़ भूमि अपने पास रख ली थी जिसमें से 1.50 भूमि निजी मंदिर का महुत्तमकार हल्कई को बना दिया था तथा शेष 1.50 एकड़ भूमि बराबर–बराबर 0.75–0.75 एकड़ लिखित बसीयत दिनांक 28 जून 1935 के द्वारा जमुना और गोरेलाल को दे दी थी।

2. यह कि झत्ते द्वारा किये गये बटवारे और इच्छा के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता उनकी मृत्यु के उपरान्त से लगातार उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं।

3. यह कि पुनरीक्षणकर्ता की 0.75 डिसमिल भूमि में से 0.25 डिसमिल भूमि हल्कई के पुत्र लक्षमण के वारसानों हीराबाई, देवकाबाई, शीतल, रघुवीर, श्रीबाई तथा वेवा राजरानी ने दिनांक 07.08.2013 को दो वैनामा 12.50–12.50 डि. क्रमशः महेश ~~जैन~~ तिवारी तथा अजय जैन को पूर्व से विचारधीन प्रकरण के लंबित रहने के दौरान विक्रय कर दी।

4. यह कि उक्त भूमि का पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष विक्रेतागण जो हल्कई के पुत्र लक्षमन के वारसान है का शामिल शरीफ नाम खारिज कराने, श्रीमान तहसीलदार महोदय के न्यायालय में विचाराधीन था जिसे विक्रेतागण अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर चुके थे फिर भी उक्त भूमि से पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से आनन फानन में बटवारा प्रकरण लंबित रहने के दौरान ही भूमि विक्रय कर दी तथा साथ में **बैनामा के पृष्ठ 3 की अंतिम**

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3836–एक / 2014 जिला सागर

गिरधर पटेल विरूद्ध अजय जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार नरयावली, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 1740 / ए–6 / 2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 27–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	